अध्याय
05

विधायिका

परिचय

विधायिका कानून बनाने वाली संस्था है। कानून बनाने के अलावा यह सभी लोकतांत्रिक राजनीतिक प्रक्रियाओं का केंद्र बिंदु भी है। वास्तविक प्रतिनिधित्व वाली कुशल और प्रभावी विधायिका के बिना सच्चे लोकतंत्र की कल्पना नहीं की जा सकती है। विधायिका जनप्रतिनिधियों का जनता के प्रति उत्तरदायित्व सुनिश्चित करती है।

विधायिका का गठन–भारतीय संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति का विभाजन किया गया है। भारत में कानून बनाने के लिए संसद और राज्यों में कानून बनाने के लिए विधानमंडल का गठन किया गया है।

संसद का गठन–भारतीय संविधान के अनुच्छेद 79 में संसद के संरचना का वर्णन है। अनुच्छेद 79 में कहा गया है कि संसद का गठन लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति को मिलाकर किया जाएगा।

संसद=लोकसभा+राज्यसभा+राष्ट्रपति

विधान मंडल का गठन-भारत के 6 राज्यों में विधान मंडल दो सदन वाला है तथा बाकी सभी राज्यों में विधान मंडल एक एक सदन वाला है । बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश तथा तेलंगाना में विधान मंडल दो सदन वाला है।

दो सदन वाला विधानमंडल=राज्यपाल+ विधानसभा+विधान परिषद

एक सदन वाला विधानमंडल = राज्यपाल + विधानसभा

नोट–भारत के केवल 6 राज्य में विधान परिषद का गठन किया गया है। झारखंड विधानमंडल एक सदन वाला है।

संसद–भारत में निर्वाचित प्रतिनिधियों की राष्ट्रीय सभा को संसद कहा जाता है। संसद द्वारा भारत के लिए कानून बनाया जाता है।

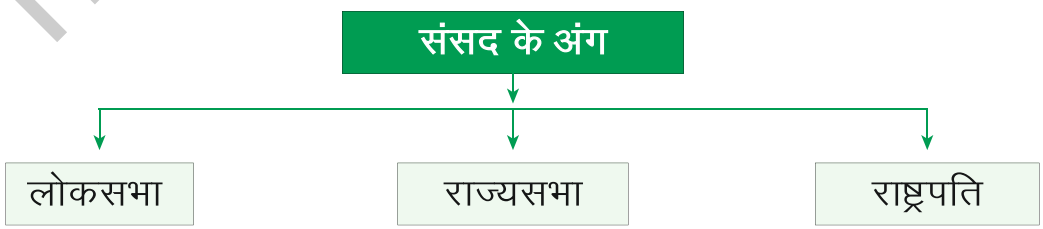

© JCERT not to be republished

संसद की आवश्यकता क्यों?

- नए कानून बनाने के लिए
- वर्तमान कानून में संशोधन या रद्द करने के लिए
- मौजूदा कानून में सुधार लाने के लिए
- राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर विचार करने के लिए
- राष्ट्रीय नीति बनाने के लिए
- नई आर्थिक नीति बनाने के लिए
- सरकारी धन पर नियंत्रण रखने के लिए
- सरकारी खर्च करने के लिए अनुमति लेने के लिए
- सरकार चलाने के लिए
- संविधान में संशोधन करने के लिए

© JCERT not to be republished

संसद में दो सदन की क्या आवश्यकता है?

- विविधता से परिपूर्ण बड़े देश में सभी वर्गों क्षेत्रों संप्रदायों को व्यापक प्रतिनिधित्व एवं समुचित अवसर देने के लिए दो सदन की जरूरत है।
- दूसरा लाभ यह है कि यदि कोई प्रस्ताव या विधेयक एक सदन द्वारा जल्दी में पारित कर दिया जाता है तो दूसरा सदन उस विधेयक में विद्यमान कमियों एवं त्रुटियों को जांच कर दूर कर देता है।

राज्यसभा

- राज्यसभा संसद का अनिवार्य और अभिन्न अंग है ।राज्यसभा के संरचना का वर्णन संविधान के अनुच्छेद 80 में है ।राज्यसभा को उच्च सदन या द्वितीय सदन भी कहा जाता है ।यह एक स्थाई सदन है । इसका कभी भी विघटन नहीं होता है।
- राज्यसभा राज्य का प्रतिनिधित्व करता है जबकि लोकसभा जनता का प्रतिनिधित्व करता है
- राज्यसभा के प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है परंतु अपनी इच्छा से उपराष्ट्रपति को त्यागपत्र देकर अपने पद से मुक्त हो सकते हैं
- राज्यसभा के एक तिहाई सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं जिनका कार्यकाल 6 साल पूरा हो जाता है।
- राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से प्रत्येक राज्य के विधायकों द्वारा होता है।
- राज्यसभा सदस्यों के कुल संख्या 245 है जिनमें से 230 राज्यों से तीन सदस्य केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली से तथा 12 राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं,जो देश में साहित्य विज्ञान कला और समाज में उत्कृष्ट कार्य कर चुके होते हैं।
- राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति होता है ।उप राष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है ,फिर भी राज्यसभा का संचालन करता है।
- झारखंड से राज्यसभा के 6 सदस्य चुने जाते हैं।
- राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम उम्र 30 वर्ष होना चाहिए।
- राज्यसभा धन विधेयक को अपने पास 14 दिन तक विचार करने के लिए रख सकता है
- राज्यसभा को धन विधेयक के संबंध में शिफारशी अधिकार प्राप्त है।

लोकसभा

- लोकसभा संसद का अनिवार्य और अभिन्न अंग है। लोकसभा के संरचना का वर्णन संविधान के अनुच्छेद *81 में है।
- लोकसभा को प्रथम सदन या निम्न सदन कहा जाता है। यह एक अस्थाई सदन है।
- लोकसभा का गठन 5 वर्ष के लिए राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। प्रधानमंत्री के सलाद से 5 वर्ष से पहले भी लोकसभा को राष्ट्रपति भंग कर सकता है।
- लोकसभा के प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल 5 साल का होता है।
- लोकसभा को भंग करने या गठन करने का अधिकार राष्ट्रपति को है।

© JCERT not to be republished

- लोकसभा के सदस्य का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा होता है। अर्थात लोकसभा जनता का प्रतिनिधित्व करता है।
- लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 550 हो सकता है।परंतु वर्तमान में 543 सदस्य हैं।
- लोकसभा के 530 सदस्य राज्यों की जनता से तथा 13 सदस्य केंद्र शासित प्रदेश की जनता से चुनकर आते हैं।
- झारखंड से लोकसभा के 14 सदस्य चुने जाते हैं। एक सदस्य अनुसूचित जाति से तथा पांच 'सदस्य अनुसूचित जनजाति समुदाय चुने जाते हैं।
- केंद्रीयमंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदाई होता है। प्रधानमंत्री लोकसभा का नेता होता है।
- बजट एवं धन विधेयक सबसे पहले लोकसभा में राष्ट्रपति के अनुमति से ही पेश किए जाते हैं।
- लोक सभा का पहला आम चुनाव 1952 ई.मे हुआ था।
- लोकसभा कार्यवाही का संचालन लोकसभा अध्यक्ष करता है। लोकसभा के सदस्यों में से ही अध्यक्ष का चुनाव किया जाता है।
- लोकसभा के पहला अध्यक्ष गणेश वासुदेव मावलंकर थे।
- 1 वर्ष में लोकसभा की दो बैठक होना अनिवार्य है अर्थात दो बैठकों के बीच का अंतर 6 माह से अधिक नहीं होना चाहिए।

संसद क्या करती है?

- विधायी कार्य-एक तैयार करना तथा उसे पारित करना। विधेयक का लक्ष्य और उद्देश्य तय करना।
- कार्यपालिका पर नियंत्रण रखना तथा उसका उत्तरदायित्व सुनिश्चित करना।
- वित्तीय कार्य-सरकार द्वारा खर्च किए गए धन का ब्यौरा संसद को देना पड़ता है।
- बहस का मंच-देश में वाद विवाद का सर्वोच्च संस्था है। कोई भी सांसद निर्भीक होकर अपना विचार संसद में रख सकता है।
- संवैधानिक कार्य-अनुच्छेद 368 के तहत संसद को संविधान में संशोधन करने का अधिकार दिया गया है।
- सभी को प्रतिनिधित्व प्रदान करना- देश के सभी वर्गों ,क्षेत्रों तथा सभी समूहों को संसद प्रतिनिधित्व प्रदान करता है।
- निर्वाचन संबंधी कार्य-राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेता है।
- न्यायिक कार्य-राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग लगाकर हटाने का प्रस्ताव पारित कर सकता है।
- संसद देश का एक ऐसा राजनीतिक संस्था है जो सामाजिक आर्थिक राजनीतिक धार्मिक एवं सांस्कृतिक मामलों में सभी वर्गों के साथ न्याय करने का कार्य करता है।

© JCERT not to be republished

राज्यसभा की शक्तियां

- राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में राज्यसभा के सदस्य भाग लेते हैं।
- सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाने का प्रस्ताव ला सकता है।
- राज्यसभा राष्ट्रहित में राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार संसद को दे सकता है।
- राज्यसभा संविधान में संशोधन करने का प्रस्ताव ला सकता है।
- उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव केवल राज्यसभा में ही लाया जा सकता है।
- धन विधेयक के संबंध में राज्यसभा को केवल शिफारशी अधिकार प्राप्त है। धन विधेयक को राज्यसभा अपने पास 14 दिन तक विचार करने के लिए रख सकता है। धन विधेयक के संबंध में लोकसभा अधिक शक्तिशाली है।

© JCERT not to be republished

लोकसभा की शक्तियां

- राज्यसभा की विशेष शक्तियां

  धन विधेयक और सामान्य विधेयक को प्रस्तुत और पारित करता है। धन विधेयक के संबंध में राज्य सभा द्वारा सुझाए गए प्रस्ताव को स्वीकार या अस्वीकार करना लोकसभा पर निर्भर करता है।
- राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेता है।
- सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने का प्रस्ताव पारित कर सकता है।
- संविधान में संशोधन का प्रस्ताव ला सकता है।
- संघ सूची के विषय पर लोकसभा एवं राज्यसभा मिलकर कानून का निर्माण करता है।
- लोकसभा प्रश्न पूछ कर पूरक प्रश्न पूछ कर और अविश्वास प्रस्ताव लाकर कार्यपालिका पर नियंत्रण रखता है। समिति और आयोगों का गठन करता है और उनके प्रतिवेदन पर विचार करता है
- धन विधेयक के संबंध में राज्यसभा को केवल शिफारशी अधिकार प्राप्त है। धन विधेयक को राज्यसभा अपने पास 14 दिन तक विचार करने के लिए रख सकता है। धन विधेयक के संबंध में लोकसभा अधिक शक्तिशाली है।

लोकसभा की विशेष शक्तियां

- केवल लोकसभा में ही धन विधेयक प्रस्तुत किए जा सकते हैं और लोकसभा ही धन विधेयक में राज्य सभा द्वारा सुझाए गए संशोधनों को स्वीकार या अस्वीकार कर सकता है। अर्थात धन विधेयक के संबंध में।अंतिम निर्णय लेने का अधिकार लोकसभा को ही है।
- केंद्रीय मंत्री परिषद केवल लोकसभा के प्रति ही अपने कार्यों के लिए उत्तरदाई होता है, राज्यसभा के प्रति नहीं।
- सरकार को हटाने और वित्त पर नियंत्रण रखने का अधिकार लोकसभा को ही प्राप्त है।
- व्यवस्थापिका संबंधी शक्ति।

© JCERT not to be republished

राज्यसभा की विशेष शक्तियां

- राज्य सभा, राज्य का प्रतिनिधित्व करता है। अतः राज्य के हितों को प्रभावित करने वाला प्रत्येक मुद्दा पर राज्य की सहमति आवश्यक होती है।
- राज्य सूची के विषय पर राज्यसभा के सहमति से ही संसद कानून बना सकती है। राज्य सूची के विषय को संघ सूची या समवर्ती सूची में शामिल करने से पहले राज्यसभा की सहमति आवश्यक होती है।

विधेयक

प्रस्तावित कानून के प्रारूप को विधेयक कहते हैं। दूसरे शब्दों में कानून का कच्चा प्रारूप विधेयक कहलाता है। विधेयक को कानून बनने से पहले कई चरणों से गुजरना पड़ता है।

1. सरकारी विधेयक- फ्री द्वारा प्रस्तुत विधेयक को सरकारी विधेयक कहा जाता है।
2. गैर सरकारी विधेयक या निजी विधेयक- मंत्री को छोड़कर किसी अन्य सदस्यों द्वारा प्रस्तुत किए गए विधेयक को गैर सरकारी विधेयक कहते हैं।

नोट:- सरकारी विधेयक और गैर सरकारी विधेयक को दो भागों में बांटा जाता है- सामान्य विधेयक और धन विधेयक।

नोट:- कोई भी विधेयक कानून बनने से पहले लोकसभा एवं राज्यसभा द्वारा अलग-अलग उपस्थित सदस्यों के दो तिहाई बहुमत से प्रस्ताव पारित करने और उस पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होने के बाद ही कानून का रूप धारण करता है।

संसदीय नियंत्रण के साधन- संसद कार्यपालिका को नियंत्रित करने के लिए अनेक साधनों का प्रयोग करता है।

- अविश्वास प्रस्ताव लाकर
- वित्तीय नियंत्रण के द्वारा
- कानूनों को स्वीकृत या अस्वीकृत कर
- बहस और वाद-विवाद के द्वारा
- प्रश्नकाल में प्रश्न पूछ कर
- शून्य काल में प्रश्न पूछ कर

संसदीय समिति -

भारतीय संसद का बहुत सा काम सभा के समितियों द्वारा निपटाया जाता है जिसे संसदीय समिति कहा जाता है।

© JCERT not to be republished

स्थाई संसदीय समिति–

इस समिति का गठन भारत में पहली बार 1983 में किया गया था। इस समिति का कार्य विभिन्न विभागों के कार्यों उनके बजट खर्च तथा उससे संबंधित विधेयक की देखरेख करना है।

संयुक्त संसदीय समिति–

इस समिति का गठन किसी विधेयक पर संयुक्त चर्चा करने और वित्तीय अनियमितता के जांच करने के लिए किया जाता है

तदर्थ संसदीय समिति–

इस समिति का गठन किसी विशेष कार्य के लिए किया जाता है । जैसे किसी घटना की जांच करने या किसी राष्ट्रीय मुद्दे पर सलाह देने के लिए।

© JCERT not to be republished